28 (6) सतर्कता प्रशासन में सुधार

मुझे उपर्युक्त विषय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तारीख 18 नवंबर, 1998 के पत्र सं. 8 (1) (एच)/98(2) की एक प्रति सूचना और पूर्णतया अनुपालन के लिए प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(डी पी ई का दिनांक 22.12.98 का का.ज्ञा. सं. 15/11/98 जीएल–012/डी पी ई(जी एम)

***

अनुलग्नक

सतर्कता प्रशासन में सुधार करने के संबंध में ऊपर निर्दिष्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 18.11.98 के का. ज्ञा. सं. 8 (1) (एच)/98 (1) की प्रति

धारा 8 (1) (एच) के अधीन केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 में यह निदेश है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की शक्तियाँ व कार्य निम्नलिखित होंगेः–

"केन्द्रीय सरकार विभिन्न मंत्रालयों या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों या उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन की देखरेख करना।"

सतर्कता प्रशासन में केवल तभी सुधार हो सकता है जब प्रणाली में भ्रष्टाचार की संभावनाएं रोकने और ईमानदारी से कार्य करने के वातावरण को भी बढ़ावा दिया जाए। धारा 8(1) (एच) में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश अनुपालन के लिए जारी किए जाते हैंः

2.1 ईमानदारी का वातावरण बनाना

बहुत से संगठन भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हैं। कनिष्ठ कर्मचारी और अधिकारी जो संगठनों में आशान्वित होकर कार्यभार ग्रहण करते हैं वे उतनी भ्रष्ट प्रवृत्ति के नहीं हो सकते जितने कि पहले से कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी जो भ्रष्ट पद्धति का भाग बन गए हों। ईमानदारी का वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कनिष्ठ अधिकारियों के पास यह बहाना हो कि उनके वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्ट हैं इसलिए उन्हें भी भ्रष्ट पद्धति अपनानी पड़ती है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी जो सतर्कता संबंधी मामले के प्रस्ताव की पहल करते हैं और परिणाम स्वरूप जिसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजना पड़ता है, उसकी एक प्रति को अपने नाम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सीधे भेज सकते हैं। यह प्रति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय में रखी जाएगी तथा कंप्यूटर में डाटा फीड किया जाएगा। यदि उचित समय अर्थात् तीन से छः महीने की अवधि में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष कोई संदर्भ नहीं आता है तब केन्द्रीय सतर्कता आयोग विभाग के संबद्ध प्राधिकारियों से सत्यापित कर सकते हैं कि कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा पहल किए गए सतर्कता संबंधी मामले का क्या हुआ। यदि भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने का आरोप को कम करने का प्रयास किया जाता है तो वह भी स्पष्ट हो जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि कनिष्ठ अधिकारियों के पास यह बहाना नहीं होगा कि उन्हें भृष्ट अधिकारियों के मार्ग पर चलना पड़ रहा है। संयोग से केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास सीधे भेजे गए मामलों को वरिष्ठ अधिकारी अनुशासनहीनता नहीं मान सकते क्योंकि ऐसा करके कनिष्ठ अधिकारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 की धारा 8 (1) (एच) के अंतर्गत जारी निर्देशों का अनुपालन कर रहा है। तथापि, यदि कनिष्ठ अधिकारी झूठी या निरर्थक शिकायत करता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

2.2 प्रशासन में अत्यधिक पारदर्शिता

2.2.1 भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत पारदर्शिता की कमी है। विशेषकर निविदाओं से संबंधित ऐसे मामले जिनमें विवेक से बिन–बारी सुविधाएं/विशेषाधिकार इत्यादि दिए जाते हैं उसमें संरक्षण और भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश होती है। प्रत्येक संगठन ऐसे मामलों का पता लगा सकता है जिनमें

भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो और वहाँ अत्यधिक पारदर्शिता उपयोगी रहेगी। यहां तक कि ऐसे मामलों में भी गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है जहाँ विवेक का प्रयोग किया जाना है परंतु एक बार विवेक का प्रयोग किए जाने पर या जैसा कि निविदाओं के मामले में होता है, निविदा पर एक बार अंतिम निर्णय लिए जाने पर गोपनीयता बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए सभी संगठनों द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर तत्काल प्रभाव से यह पद्धति अपनानी चाहिए कि वे निविदा से संबंधित या बिन–बारी आबंटन या किसी कर्मचारी/पार्टी के पक्ष में विवेक के प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के ब्यौरों को सूचना बोर्ड पर लगाएंगे और संगठन के नियमित प्रकाशन में प्रकाशित करेंगे। इस जानकारी के प्रकाशन की सही प्रक्रिया से, भ्रष्टाचार उत्प्रेरित निर्णयों या अनुचित पक्षपात जो अच्छे सतर्कता संबंधी प्रशासन के नियमों के विरूद्ध हैं, की स्वतः ही जांच हो जाएगी।

2.2.2 केन्द्रीय सतर्कता आयोग यथासमय प्रत्येक संगठन का जिम्मा लेगा और यह देखने के लिए समीक्षा करेगा कि संगठन ने अत्यधिक पारदर्शिता की दृष्टि से प्रचार के लिए मासिक संप्रेषण में पहली बार जिन मदों की सूची की पहचान की है उसमें कोई वृद्धि या परिवर्तन तो नहीं किया जाना है। इसे तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित किया जाए।

2.3 शीघ्र विभागीय जांच

2.3.1 यह भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्रोत है कि दोषी को पर्याप्त सजा नहीं होती तथा इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें शीघ्र सजा नहीं होती। यह विभागीय जांच प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब के कारण होता है। विभागीय जांच प्रक्रियाओं में विलंब होने का कारण यह है कि जांच अधिकारियों के पास पहले से ही उनके नियमित कार्य का भार होता है तथा यह जांच उन्हें अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त करनी होती है। प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारियों के लिए भी यह बात सही है।

2.3.2 अतः प्रत्येक संगठन फौरन सभी लंबित मामलों की समीक्षा करें तथा अनुशासन प्राधिकारी, जांच करने के लिए ईमानदार सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से जांच अधिकारी नियुक्त करें। इन अधिकारियों के नामों की अनुमति केन्द्रीय सतर्कता आयोग से ले ली जाए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग पृथक रूप से एक विज्ञापन भी जारी करेगा तथा यह अखिल भारत स्तर पर नामों का एक पैनल बनाएगा जो विभाग में जांच अधिकारियों के कार्य में पूरक होंगे। वास्तव में यह एक स्वस्थ परंपरा होगी कि सभी जांच, केवल ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा ही करवाई जाए क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि विभागीय जांच समय पर पूरी की जा सकेगी। यदि कोई सेवा/विभागीय नियम, उक्त अनुदेशों के प्रतिकूल हों तो उनमें तुरंत संशोधन किया जाए।

2.3.3 विभागीय जांच की समय पर समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित समय–सीमा निर्धारित की गई हैः–

(i) ऐसे सभी मामले जो इस समय जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में लंबित हैं ऐसी नियुक्ति एक महीने के भीतर की जाए। अन्य सभी मामलों में आवश्यक होने पर सरकारी कर्मचारी द्वारा आरोपों को अस्वीकार करने और बचाव के लिखित वक्तव्य की प्राप्ति के तुरंत बाद जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की नियुक्ति की जाए।

(ii) मौखिक जांच, जिसमें जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी शामिल है, जांच अधिकारी की नियुक्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि में पूरी हो जानी चाहिए। प्रारंभिक जांच के दौरान आरंभ में, पहले आरोपी अधिकारी और प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की उपस्थिति अपेक्षित है और जांच अधिकारी की नियमित सुनवाई से पहले सूचीबद्ध दस्तावेज के निरीक्षण, बचाव संबंधी दस्तावेज और गवाहों की सूची प्रस्तुत करने के लिए तथा बचाव संबंधी दस्तावेज के निरीक्षण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। नियमित सुनवाई शुरू होने के बाद, यह सुनवाई दिन–प्रतिदिन आधार पर तब तक चलनी चाहिए जब तक कि यह पूरी न हो जाए और इसे गौण आधार पर स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

2.3.4 विलंब का एक कारण बार–बार स्थगन है। किसी भी मामले में दो से अधिक स्थगन नहीं दिए जाएं जिससे कि विभागीय जांच के लिए छह महीने की समय सीमा का पालन किया जा सके।

2.3.5 जांच अधिकारी/प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और मुख्य सतर्कता अधिकारी उक्त अनुदेशों के सख्ती से अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

2.4 निविदाएं

निविदाएं सामान्यतया भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अधिक पारदर्शी और प्रभावी पद्धति आरंभ की जानी चाहिए। चूंकि निविदा पश्चात् कुछ तय करना भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है, केवल एल.टी. (अर्थात् न्यूनतम निविदाकाएं) के साथ बातचीत से तय संविदा को छोड़कर निविदा पश्च कुछ तय करने पर रोक है।

(बी पी ई का तारीख 22 दिसम्बर, 1998 का पत्र सं. 15 (11)/98–जीएल–012/बी पी ई (जीएम)

****